



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in

वेबसाइट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in

बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में

सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु **ijhkk l pkyu , oa fu; e iLrdk**

ijhkk l pkyu , oa fu; e iLrdk

vWylbz vlonu&i =

भरने की प्रारम्भ तिथि : 06.04.2016	भरने की अंतिम तिथि : 26.04.2016
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में संशोधन की प्रारम्भ तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क पर) तथा आवेदन-पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रारम्भ तिथि { उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत/निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर }	06-04-2016
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में संशोधन की अंतिम तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क पर) तथा आवेदन-पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि { उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत/निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर }	29-04-2016
ijhkk fnukl o fnu	22-05-2016 jfoolj
ijhkk 'lyd	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	: - 500@&
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	: - 250@&
ऑनलाईन आवेदन – पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& अतिरिक्त देय होगा।	

vWylbz ijhkk i) fr l e; l kj.kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के लिये				
परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
22.05.2016 रविवार	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	प्रातः 10:30 बजे	11:50 से 12:00 बजे तक (10 मिनट)	अपरान्ह 12:00 से 02:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	तृतीय	अपरान्ह 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

fVi . kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है ।
3. **vWylbz vlonu&i = Øekl ds }kj gh fyf[kr ijhkk grqvH FNZviuk i nsk&i = iMr dj l drs gA vr% vlonu&i = Øekl vlo'; d : i l sl hky dj j [k ft l dh l eLr ft Fenkjh vlond dh gh glxh**
4. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।
5. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी **ernrk igpku i =] iudM vWylbz dM M; fox yk l d] val phe; QW/schQ] cil ik cl e; QW/schQ rFlk ik iWZels dkhZ, d vFlok vU; dks p; fur dj l drk gSA bZ vWylbz eki; uglgSA**
6. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
7. निर्धारित अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे ।

बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में
सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा–2016

fo"k &l ph

l - Øa	v/; k	fooj. k	i "B Ø-
1.	1	उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली, तथा आरक्षण तालिका	3&14
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	15&27
3.	3	iækk i=ædk iæ i	28&39
4	iæ i&13	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	40
5.	iæ i&14	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	41
6.	iæ i&15	ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	42
7	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परिशिष्ट	43&48



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में
प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

वर्ष : 2016

बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. (एकीकृत चार वर्षीय)
कार्यक्रमों हेतु

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी
सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

**बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. (एकीकृत चार वर्षीय)
कार्यक्रमों हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 2016**

1. प्रस्तावना

1.1 सामान्य एवं उद्देश्य – देश में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रमों का विनियमन केंद्रीय अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में “अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों” के विनियमन के लिए “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014” प्रभावशील है। इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश राज्य शासन की नीति के अनुरूप प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से दिया जाना है। चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) स्नातक डिग्री बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. के प्रथम वर्ष (सत्र 2016-17) में प्रवेश के लिए वर्ष 2016 की प्रवेश-प्रक्रिया को संचालित करने के उद्देश्य से “मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2016” जारी किए जाते हैं। इन सिद्धांतों के अध्यापक उपरोक्त किसी कार्यक्रम में प्रवेश के उपरांत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संबन्धित विश्वविद्यालयों के अधिनियम, अध्यादेश, परिनियम एवं निर्देश लागू होंगे, बशर्ते कि राज्य-शासन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् या माननीय न्यायालय द्वारा संबन्धित विषय पर कोई विधिमन्य पृथक निर्देश जारी नहीं किए गए हों।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं संबन्धित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों में संचालित बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. एकीकृत कार्यक्रमों में उपलब्ध स्थानों (सीटों) पर प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करते हुए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी जिसके आधार पर “एम. पी. ऑनलाईन” के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न होगी। मेरिट सूची में स्थान पाने मात्र से किसी आवेदक को संबन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अपितु काउन्सलिंग में आवंटित शिक्षण-संस्था हेतु निर्दिष्ट हेल्प-सेंटर पर प्रवेश के समय उपस्थित आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाणपत्रों के सत्य एवं नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होगी। मेरिट-सूची के प्रावीण्य-क्रमांक एवं ऑनलाईन काउन्सलिंग में आवेदकों द्वारा व्यक्त की गई शिक्षण-संस्थाओं एवं कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) की वरीयता के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा। अतः इन कार्यक्रमों (पाठ्यक्रमों) को संचालित करने वाली शिक्षण-संस्थाओं का यह समग्र दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करें ताकि आवेदक उनकी शिक्षण-संस्था को अपनी व्यक्त की गई वरीयता में उच्च क्रम पर रखें जिससे कि वर्तमान सत्र में उनकी संस्थाओं में पूर्ण आवंटन/प्रवेश हो सकें। आवंटन उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश लेना या नहीं लेना उनकी अभिरुचि पर निर्भर करता है।

1.2 अधिकार :

(अ) प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के चयन संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये राज्य शासन को पूर्ण अधिकार है। इन नियमों की व्याख्या करने तथा प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने के लिये राज्य शासन पूरी तरह सक्षम है तथा उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे।

- (ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनियम, 2014 में वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्तों और प्रवेश-प्रक्रिया को परिवर्तित एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को रहेगा।
- (स) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर आयुक्त, उच्च शिक्षा को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस पर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
- (द) ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

1.3 प्रभावशीलता :

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक संबद्धता प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में "शिक्षण संस्था" कहा जाएगा, पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे।

सत्र 2016-17 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने की तिथि 10 मई, 2016 निर्धारित है।

1.4 संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन :

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.ए. बी.एड, बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. (चार वर्षीय पाठ्यक्रमों) में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पृथक से उल्लेखित आरक्षण संबंधी कण्डिका तथा उसकी उपकण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेगा और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हेतु :

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 5 अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यू.पी. 7113/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.5.2014 के पालन में अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य श्रेणी के लिये रहेंगे (यह अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेंगे)। इसमें अजजा/अजा/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय दिनांक 18.05.16 तक यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाईन जारी मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला महाविद्यालय दर्ज है।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी : प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार सम्पन्न होगी - (विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कडिकाओं में उपलब्ध है।)

01 : प्रवेश परीक्षा हेतु पंजीयन - प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी विज्ञापन के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीकरण किया जाना होगा।

02 : दस्तावेजों के सत्यापन हेतु चिन्हित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना -

ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के साथ ही आवेदक को संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर, जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय हैं (परिशिष्ट-2) में दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर आवेदन में प्रस्तुत जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन करवा चुके आवेदकों को ही संबंधित पाठ्यक्रम की प्रवेश-परीक्षा एवं आगामी प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

03 : प्रवेश परीक्षा एवं मेरिट सूची –

दस्तावेज सत्यापित करा चुके आवेदक प्रोफेशनल एक्जीमिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी।

04 : एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रवेश आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करना –

प्रक्रिया अन्तर्गत मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन उपरांत आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में पोर्टल शुल्क जमा करते हुए पंजीयन एवं महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी। प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ, सीट-आवंटन-पत्र (**Seat-Allotment-Letter**) जारी किये जावेंगे।

05 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश –

प्रवेश के लिए आवेदक को आवंटित महाविद्यालय के लिए निर्धारित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होना होगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (**Original T.C.**) यथास्थिति माइग्रेसन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित संबंधित महाविद्यालय के नाम बनाकर शासकीय संबद्ध हेल्प सेंटर में जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

2. **पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क** : आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक हैं :-

2.1 शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित कार्य दिवस :

पाठ्यक्रम →	बी.ए.बी.एड.	बी.एससी. बी.एड.	बी.एल.एड.
शैक्षणिक योग्यता / पात्रता	उच्चतर माध्यमिक / +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	उच्चतर माध्यमिक / +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
निर्धारित कार्य दिवस (प्रवेश एवं परीक्षावधि को छोड़कर)	न्यूनतम 250 दिवस	न्यूनतम 250 दिवस	न्यूनतम 200 दिवस

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

- 2.2 प्रवेश प्रक्रिया :-** प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग में व्यक्ति महाविद्यालयों की वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / बी.एल.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रमों में स्थान आवंटित किये जावेंगे।
- 2.3 शुल्क :-** आवंटित महाविद्यालय हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रथम वर्ष का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट से प्रवेश के समय आवेदकों द्वारा चिन्हित शासकीय हेल्प सेंटर पर देय होगा। आगामी वर्षों में शेष निर्धारित शुल्क सीधे प्रवेशित महाविद्यालय को देय होगा। म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1073/240/ सीसी/14/अड़तीस, दिनांक 30.06.14 की मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क के रूप में रुपये 5000/- (रु. पांच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं एवं शेष निर्धारित शुल्क का भुगतान परीक्षा आवेदन से पूर्व कर सकते हैं, परन्तु छात्रवृत्ति प्राप्ति के संबंध में संबंधित विभाग के नियम/निर्देश लागू होंगे। समयावधि में निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा।

2.4 प्रावधिक आवेदकों हेतु प्रक्रिया :-

- (1) ऐसे विद्यार्थी जिनकी अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, वे प्रावधिक आवेदक के रूप में पंजीयन तथा हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश परीक्षा में प्रावधिक रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। इस हेतु अर्हताकारी परीक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रावधिक आवेदक के विकल्प का चयन कर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- (2) उपरोक्तानुसार पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् प्रावधिक आवेदक को नियमानुसार प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
- (3) ऐसे समस्त आवेदकों को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर काउंसलिंग हेतु पंजीयन कराना होगा। परन्तु प्रावधिक आवेदकों को पंजीयन से पूर्व हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तियों की प्रविष्टि कराना अनिवार्य होगा। प्राप्तियों की प्रविष्टि हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाईन करने के पश्चात् ही आवेदक प्रवेश काउंसलिंग हेतु पंजीयन करा सकेगा। अतः अर्हताकारी परीक्षा वांछित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में प्रावधिक आवेदक हेल्प सेंटर पर अंकसूची के साथ निश्चित तिथियों में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अंकों की प्रविष्टि दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
- (4) प्रावधिक आवेदक को प्रथम चरण के आवंटन के पूर्व अथवा अर्हताकारी परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में तत्समय काउंसलिंग हेतु उपलब्ध द्वितीय चरण हेतु वरीयता व्यक्त करने की निर्धारित समयावधि में हेल्प सेंटर पर अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तियों (आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त होने की स्थिति में) दर्ज कराते हुए पंजीयन कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे एवं ऐसे आवेदक उपलब्ध द्वितीय चरण में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रिक्त रह गए स्थानों के लिए ही अपनी वरीयताएं व्यक्त कर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- (5) समस्त प्रावधिक आवेदकों को एन.सी.टी.ई. रेग्युलेशन, 2014 के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रावधिक रूप से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरांत भी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (6) इस संबंध में समस्त प्रावधिक आवेदकों को स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप-09 अनुसार भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (7) प्रावधिक आवेदकों द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि न करने, पंजीयन न कराने अथवा निर्धारित अर्हताकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न करने की स्थिति में उनकी प्रवेश हेतु पात्रता नहीं रहेगी एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3. सीटों का आरक्षण :

- 3.1 आरक्षण प्रतिशत : मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27.5 प्रतिशत

ब - मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक संवर्ग के प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए **03** प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये **01** प्रतिशत।

3.2 महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार **30** प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) हैं। कुल स्थानों के **30** प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3.2.1 सैनिक संवर्ग (एस) : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

3.2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) -

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों /नातियों/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या

उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

- 3.2.3 निःशक्तजन (विकलांग) :** कुल स्थानों का तीन प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.2.4 विधवा/परित्यक्ता:** इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।
- 3.3** यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.4** संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे। (संलग्न – प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)
- 3.5** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।
- 3.6** द्वितीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।
- 3.7** द्वितीय चरण में ही बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर म0प्र0 राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जायेगा।
- 3.8** अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जायेगा। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताएँ नहीं होने पर द्वितीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासियों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर आवंटन किया जायेगा।

4. प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन, आवेदन महत्वपूर्ण तिथियां एवं दस्तावेजों का सत्यापन :

- 4.1 प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञापन एवं आवेदन/पंजीकरण :** बी0ए0बी0एड0, बी0एससी0बी0एड0 एवं बी0एल0एड0 (एकीकृत चार वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आयोजित प्रवेश-परीक्षा में आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के हिंदी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों में प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 (पी.ई.बी.) द्वारा विज्ञापन जारी किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश एवं आवेदन पत्र पीईबी की वेबसाइट <http://www.peb.mp.gov.in> पर निर्धारित तिथि अनुसार उपलब्ध होंगे।

निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों को प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण-पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार, मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो।

आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाईन आवेदन का मूल दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑन लाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन के निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदकों को पंजीयन पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित हेल्प सेंटर पर कराने के उपरांत प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

4.2 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 द्वारा आवेदकों के ऑनलाईन प्रवेश हेतु प्रक्रिया एवं समय सारणी :

चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एलएड0 की प्रवेश-परीक्षा एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथियां निम्नानुसार है :

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1	विज्ञापन का प्रकाशन	04 अप्रैल, 2016
2	आवेदकों के ऑनलाईन पंजीयन	06 अप्रैल से 26 अप्रैल, 2016
3	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन (परिशिष्ट – 2 अनुसार निर्धारित हेल्प सेंटर पर)	06 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2016
4	प्रवेश परीक्षा (दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे)	22 मई, 2016 (प्रस्तावित)
5	परीक्षा परिणाम की घोषणा	06 जून, 2016 तक

4.3 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

- ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत कराने के पश्चात् आवेदकों को प्रदेश के चयनित शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालयों पर जाकर अपने समस्त दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन सत्यापन कराना अनिवार्य है। दस्तावेजों के ऑनलाईन सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं उनके आवेदन प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। इसके लिये आवेदक को ऑनलाईन पंजीयन के पश्चात् प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र (Acknowledgement Slip) के साथ हेल्प सेंटर पर स्वयं उपस्थित होकर समस्त मूल दस्तावेजों को अभिप्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा। दर्ज जानकारियों का मूल प्रमाण पत्रों से अभिप्रमाणीकरण हेल्प सेंटर के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा सत्यापन करने के बाद हेल्प सेंटर के अधिकारी Online Verification Slip प्रदान करेंगे एवं प्रमाण स्वरूप इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ हेल्प सेंटर की सील भी लगायेंगे। इस Online Verification Slip पर आवेदक को भी हस्ताक्षर करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय समस्त आवेदकों से Acknowledgement Slip पर मुद्रित वचन-पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदकों के दस्तावेज ऑनलाईन सत्यापित हुए हैं, अथवा नहीं, इसके लिए आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर, पोर्टल पर स्वयं जांच कर सकेंगे।
- अन्य राज्यों के आवेदकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन मध्यप्रदेश राज्य के नजदीकी शासकीय महाविद्यालयों (सहायता केन्द्रों/हेल्प सेंटर) में स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा।
- आवेदकों को निम्न दस्तावेजों में जो भी लागू हो उनका सत्यापन कराना अनिवार्य होगा –
 1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
 2. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची
 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण-पत्र
 4. म0प्र0 स्थानीय निवासी हेतु स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप 5 अनुसार)

5. नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी-परत छोड़कर) के आवेदकों के लिये (स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 6 अनुसार)

6. फोटो पहचान पत्र – आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, फोटो युक्त अंकसूची में से कोई एक अथवा अन्य कोई जो तत्समय निर्दिष्ट किया जावें। (उक्त फोटो पहचान पत्र आवेदक को प्रवेश परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।

7. प्रावधिक प्रवेश हेतु आवेदकों को अर्हताकारी परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रमाण स्वरूप उक्त परीक्षा का प्रवेश पत्र (यदि प्राप्त हो) एवं स्वघोषणा-पत्र भी निर्धारित प्रारूप 09 अनुसार सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. **प्रवेश परीक्षा के लिए अंकों का निर्धारण एवं पाठ्यक्रम (केवल सत्यापित आवेदकों के लिये) :**

प्रवेश परीक्षा प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जावेगी। पाठ्यक्रम एवं मेरिट सूची के संबंध में जानकारीयां निम्नानुसार है :-

5.1 **चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बी0ए0बी0एड0/बी0एससी0बी0एड0/बी0एलएड0 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा** : प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य चेतना (General Awareness)	40	40 अंक
2.	सामान्य मानसिक योग्यता एवं शैक्षणिक अभिरूचि (General Mental Ability & Teaching Aptitude)	30	30 अंक
3.	भाषा दक्षता (Language Proficiency) (हिन्दी + अंग्रेजी)	30 (15 + 15)	30 अंक
कुल		100	100 अंक

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा समस्त आवेदकों की तथा मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों एवं बाह्य राज्यों के आवेदकों की पृथक-पृथक मेरिट सूची घोषित की जावेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 अनुसार है।

6. **ऑनलाइन काउन्सिलिंग :**

प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची एवं समेकित मेरिट सूची के प्रकाशन के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया से सीटों का आवंटन मेरिट क्रमांक एवं आवेदकों द्वारा चुनी गई महाविद्यालयों के वरीयता के आधार पर किया जाएगा। एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर आवेदकों के ऑनलाइन प्रवेश हेतु पंजीयन, वरीयता, आवंटन एवं प्रवेश की संक्षिप्त प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

6.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं समस्त संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा निर्धारित सीट संख्या दिनांक 10.06.2016 को एम0पी0 ऑनलाईन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

6.2 प्रवेश परीक्षा पश्चात् प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, म0प्र0 द्वारा घोषित मेरिट सूची अनुसार समस्त अर्ह आवेदकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0पी0 ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

- काउन्सिलिंग हेतु पंजीयन के लिए आवेदकों लिये पोर्टल शुल्क रू. 250/- (रू.दो सौ पचास) एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये रूपये 125/- (रू. एक सौ पच्चीस) देय होगा।
- काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत आवेदक को **अभिस्वीकृति-पत्रक (Acknowledgement-Slip)** जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।
- काउंसिलिंग के लिए पंजीकृत आवेदकों को आगामी चरणों में वरीयता व्यक्त करते समय रूपये 50/- (पचास) का शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा।

- प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो अपना पंजीयन प्रथम चरण के आवंटन के पूर्व नहीं करा सके, अथवा ऐसे प्रावधिक आवेदक जिनकी अर्हताकारी परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित हुआ हो, अपने अंकों की प्रविष्टि हेल्प सेंटर के माध्यम से अद्यतन कर द्वितीय चरण के आवंटन से पूर्व निर्धारित तिथियों में अपना पंजीयन कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नियमानुसार कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इन आवेदकों के प्रवेश शेष चरण में रिक्त रह गए स्थानों पर ही गुणानुक्रम अनुसार हो सकेंगे।

6.3 काउन्सिलिंग के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ :

एम0पी0 ऑनलाईन के पोर्टल पर आवेदकों के ऑनलाइन प्रवेश हेतु पंजीयन, वरीयता, आवंटन एवं प्रवेश की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	मेरिट सूची अनुसार सफल आवेदकों द्वारा महाविद्यालयों में सीट आवंटन हेतु पंजीयन/महाविद्यालयों की वरीयताओं का चयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान।	10 जून से 16 जून, 2016
2.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	20 जून, 2016
3.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी. /माइग्रेशन प्रस्तुत करना	20 जून से 23 जून, 2016 तक
4.	प्रथम चरण पश्चात् महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	24 जून, 2016
5.	(i) द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित आवेदकों से महाविद्यालयों की पुनःवरीयता प्राप्त करना (ii) नवीन पंजीयन (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।)	24 जून से 26 जून, 2016 तक
6.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	28 जून, 2016
7.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी. /माइग्रेशन प्रस्तुत करना	28 जून से 30 जून, 2016 तक

6.4 आवेदक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं -

- आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
- आवेदक के शहर अथवा गाँव में स्थित इंटरनेट सुविधा से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

6.5 पंजीयन हेतु पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं -

- इंटरनेट बैंकिंग से।
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान से।

आवेदकों को सीट आवंटन संबंधी सूचना उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस.एम. एस. द्वारा दी जायेगी किन्तु आवेदक संबंधित तिथियों पर स्वयं भी पोर्टल पर अवश्य चैक करें।

6.6 आवेदकों को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करते समय उपलब्ध महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करना होगा। आवेदकों की वरीयताओं एवं प्रवेश परीक्षा के गुणानुक्रम अनुसार तथा आरक्षण का लाभ देते हुए

प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ सीट-आवंटन-पत्र (Seat-Allotment-Letter) एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> पर जारी किये जावेंगे। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय के नाम बनाकर संबंधित पाठ्यक्रम के हेल्प सेंटर पर जमा कराने एवं प्रवेश की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

7. सीट आवंटन एवं प्रवेश :

- 7.1 आवेदक एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्मतिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- 7.2 ऑनलाइन सीट आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को आवंटित महाविद्यालय से संबंधित हेल्प सेंटर में ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभिप्रमाणीकरण के समय आवेदक को प्रदत्त सत्यापन पत्रक, सीट आवंटन पत्र (दो प्रतियों में), मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/ माइग्रेशन प्रमाण पत्र (यथा स्थिति जो लागू हो) एवं प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम का प्रमाण, शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। सभी मूल दस्तावेजों और उनकी छायाप्रतियां भी साथ लेकर जाना होगा।
- 7.3 हेल्प सेंटर के प्राधिकृत अधिकारी/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति प्राप्त करने के साथ ही मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र को निरस्त कर, उस पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। निरस्त स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) को वे अपने पास रखते हुए सीट आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। प्राप्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां एवं निरस्त टी.सी. आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य को हेल्प सेंटर द्वारा सौंप दी जायेगी (मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इसे निरस्त नहीं करेंगे)। हेल्प सेंटर द्वारा प्रवेशित आवेदक की जानकारी ऑन लाइन पोर्टल पर भी अनिवार्यतः दर्ज की जावेगी।
- 7.4 आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदकों को हेल्प सेंटर पर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित महाविद्यालय के नाम देय हो तथा जिसके पीछे आवेदक का नाम, पंजीयन क्रमांक, पाठ्यक्रम का नाम एवं आवंटित महाविद्यालय का नाम अंकित हो, निर्धारित प्रवेश समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7.5 यदि आवेदक को उसके द्वारा व्यक्त प्रथम वरीयता ही आवंटित हो जाती है तो उसे संबंधित शिक्षण संस्था में प्रवेश लेना होगा एवं ऐसे आवेदकों को अगले चरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 7.6 यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है अथवा प्रथम से कम वरीयता वाले आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा। आवेदकों को चाहिये कि वे अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से, बहुत सोच-समझ कर करें जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में सुनिश्चित हो सके।
- 7.7 यदि किन्ही दो आवेदकों के मेरिट अंक समान है, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को पहले वरीयता दी जाएगी।
- 7.8 वांछित दस्तावेजों एवं शुल्क राशि के ड्राफ्ट को जमा करने के पश्चात् आवेदक संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। आवेदक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय-पत्र इत्यादि बनवाने का कार्य आवंटित महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।

- 7.9 आरक्षित वर्ग के आवेदकों (केवल मध्यप्रदेश राज्य के आवेदक) की छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के प्रमाण, संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत करने पर ही इन वर्गों के आवेदकों के ड्राफ्ट उन्हें सौंपे जावेंगे। अपरिहार्य कारणों से छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान से तदाशय का शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए ड्राफ्ट की अंतिम वैधता तिथि के 07 दिवस पूर्व सौंपे जाने की कार्यवाही की जावे।
8. **प्रवेश का निरस्तीकरण** : यदि कोई प्रत्याशी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर या किसी अन्य त्रुटि या अनदेखी के कारण प्रवेश पा लेता है अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाती है या उसके मूल प्रमाण-पत्रों अथवा दस्तावेजों का जाली पाया जाता है तब आवेदक का प्रवेश बिना कोई सूचना दिये तत्काल निरस्त किया जायेगा और आवेदक द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह कार्यवाही पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कभी भी की जा सकती है।
9. **शुल्क वापसी** : आवंटित शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश निरस्त या महाविद्यालय परिवर्तन करने के लिये किये गये किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं आवेदक द्वारा जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी।
10. **अन्य प्रक्रिया**
- 10.1 **त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र** : यदि आरक्षण या किसी अन्य दावे संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रवेश के समय गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो हेल्प सेंटर संबंधित आवेदक को प्रवेश नहीं देंगे एवं इसकी लिखित सूचना अविलंब एम.पी. ऑनलाईन और आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को देंगे।
- 10.2 अग्रणी महाविद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंधित चरण की समाप्ति के पश्चात् निरस्त किये गये स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश शुल्क के ड्राफ्ट सूचीबद्ध कर संबंधित महाविद्यालयों को कडिका 7.9 का पालन करते हुए सौंपेंगे। समस्त शिक्षण संस्थाएं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से खाता खुलवायेंगे जिसमें छात्रों द्वारा प्रस्तुत उनके महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम से बनाये गये ड्राफ्ट जमा करवा सकेंगे।
- 10.3 आरक्षित वर्ग (केवल म0प्र0 राज्य के आवेदक) की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात्, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) को प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर कडिका 7.9 अनुरूप अंतरित की जायेगी। सामान्य वर्ग एवं बाह्य राज्यों के समस्त आवेदकों के ड्राफ्ट समय-समय पर चरण समाप्ति उपरांत संबंधित महाविद्यालयों को सौंपे जायेंगे।
- 10.4 संस्थाओं की किन्ही कारणवश संबद्धता समाप्त की जाती है तो विद्यार्थियों को अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करने की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 10.5 निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जायेगी।
- 10.6 कडिका 1.3 में उल्लेखित तिथियों के पश्चात् मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा।
- 10.7 एनसीटीई द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जावेगा।

अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

v/; k & 2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के परीक्षा संचालन के निर्देश

[k M&v

- 2-1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक ही आवेदन पत्र भरना होगा, तथा आवेदन पत्र में पाठ्यक्रमों का विकल्प स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
- 2-2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली अध्याय -1 की कण्डिका 2.1 एवं 2.4 के अनुसार मान्य होगी।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी के सत्यापन के संबंध में नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथियों में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (परिशिष्ट 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित शासकीय महाविद्यालय) से मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म. प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 ijhkk gky ea yst kus grqvk'; d l kexh %

- (i) मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। b&v/kkj ekt; ughagS
- (iii) यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई.डी. के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and Whitener आदि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 fyt[kr ijhkk eafu%kDrt u vH fflZ kadsfy, mi yC/k l qp/kk ; %

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

- (i) ; g l qp/kk fuEufyf[kr vH fflZ kads i nku dh t koxh %

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी ।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो ।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो ।
5. निशक्तजन अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा केन्द्र में भूतल पर ही अनिवार्य रूप से की जायेगी । इसके साथ ही रैम्प का निर्माण भी यथासम्भव किया जायेगा ।

(ii) **यसकु फ्यि द धल ङो/क %**

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी । यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) **यसकु फ्यि द धल फु; ङोर गुरग' कुर %**

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का हो ।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी ।
3. निःशक्तजन अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के 15 दिवस पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों की प्रमाणित फोटोप्रतिया संलग्न करते हुए अपना लिखित आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में डाक से प्रेषित किया जाना होगा । इसके पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।

(iv) **बल दस वरफु डर इनक धल त कुस ओक्य हल ङो/क %**

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी ।

2-6 इनसक&i = इनर दजुस धल ङो; क %

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ।

उक& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

2-7 इजहक इनसक&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे ।

- (ii) मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (iii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iv) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2-8 **वस्तुनिष्ठ प्रश्न**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-9 **विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।**

विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- (ix) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

मूल्यांकन 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

मूल्यांकन 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89 \text{ rounded off to } 142.00$$

mnkgj.k 03 :-यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91 \text{ rounded off to } 192.00$$

ukv % सभी गणना को दो दशमलव तक राउंड ऑफ किया जायेगा।

2-10 izui Qrkd ds izulads l rak eavH konu %

- प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- बिन्दु क्रमांक 2.9 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी।
- आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-11 vufpr l ku Unfair means, UFM½ %

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
- उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।

- (xiii) इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (xiv) यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।
- (xv) विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- (xvi) परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xvii) परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xviii) आफलाईन परीक्षा पद्धति में आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. उत्तर शीट में पेसिल से उत्तर अंकित किये जाने पर यू.एफ.एम. प्रकरण मान्य करते हुये संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (xix) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

2-12 ijhkk ifj. ke dk izdkku %

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

2-13 ijhkk ifj. ke %

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in अथवा www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-14 e-iz 0 kol k; d ijhkk eMy dk dk; Zi nsk@Hr iZ@ik=rk ijhkkvka dk l pkyu , oa ml dk ifj. ke ?k'kr djuk ek= glsk %

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा।
- (ii) मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-15 U; kf; d {k=k/kdkj % परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

[k M&c

2.16 **vWYkZi vlonu&i = ds l kfk l yXu fd; s t kus okys nLrlo t k dk foofj . k %**

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-12 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।

2-17 **vWYkZi vlonu i = ds l kfk QWks , oagLrkfj l yXu djus l calh funZk%**

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-12 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ **vlonu Hjus dh frffk** से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा **QWksQ ij f[kokus dh fnukd o vlond ds ule dk Li"V mYysk gkuk pfg; A**
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।
- (xi) **fu'Drt u vH FkZ t ks gLrkfj djus ea vl eFK g\$ os vH FkZ vi us vxBs dk fu'ku yxk l drsgA**

2-18 **, e-ih vWYkZi fd; k d dsek; e l s vlonu QkZHjus dh fof/k %**

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार पर कियोस्कधारक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जायेगा।
- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि तक (मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान) निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-19 **वकीलजी वलोनु ह्युस दसल तक एअफुनक %**

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण मीनू के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) **igpku i= ds ehuea ernkrk igpku i=] isudkM/ vk/kj dkM/ M; fox yk l d] vadl ph e; QW/sxkQ] cfd ik cd e; QW/sxkQ rFk ik iWZ dk i to/ku j [lk x; k gA**
- (iii) यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है **rks og nLrkt dki l k gSbl dh t kudkj h vfrfjDr l g&vkbMh ds: i ea izku djuh gskA**
- (iv) **vlond dks vlonu i= ea 'kjh ds LFk h fpUg rFk ijhkk ds le; iZrq fd; s t kus okys QW/s igpku i= dk fooj.k rFk Øekd vfuok; Z: i lsvdr fd; k t kuk gskA buds vHko ea vlonu i= Lohdkj ugh gskA**
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (vi) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (vii) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक पृथक से भी अंकित किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा।

2-20 **वकीलजी वलोनु&i = ह्युस दह Q oLFk %**

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **oc l kbZ** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कोई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-21 **वकीलजी वलोनु&i = ह्युस ग्रंक्स फोदYi gA%**

1/2bVjuV dQs }kj D; Kd1/2 1/2Lo; ads dE; Wj }lk

- (i) आवेदक वेबसाइट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funzk@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

2-22 **0\$MV@MfcV dMz ¼½bVjuV c\$da**
0\$MV@MfcV dMzdsek; e l s i j h k l k 'k y d d k H x r k u %

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-23 **bVjuV c\$da dsek; e l s i j h k l k 'k y d d k H x r k u %**

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि तक (मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान) निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-25 **fu/WZj r frfFk eat ek fd, x, vWYbZi vlonu i = eal akku dh Q oLFk**

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथि अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में यदि कोई संशोधन है तो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय) के माध्यम से संशोधन करा सकता है ।
- (ii) उपरोक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी ।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा सत्यापन से पूर्व एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा, किन्तु कोई भी संशोधन **mPp f' kkk foHkx ds l R ki u ds i ' pkr fd; k t luk l Ho uglaglk A**
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी ।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा ।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक के Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा ।

2-26 , d l svf/kd vWYkbZi vlonu&i = Hjusl aak funZk %

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा ।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी ।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-27 **वकीलजी वकालत = क्लक फुजलरहदज.क %**

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-29 अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना प्रवेश के चालू वर्ष की 01 जुलाई की स्थिति में की जावेगी। इसके अतिरिक्त विभागीय नियमों में यदि कोई विशिष्ट प्रावधान रखे गये हैं तो वे मान्य होंगे।

2-30 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2-31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

[k M&I

2-32 vlonu i = Hjus dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
06-04-2016	26-04-2016	21	06-04-2016	29-04-2016	24

2-33 fyf[kr vWYkbZ i jh[kk dk foj.k

स. क्र.	परीक्षा	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	बी.ए.बी.एड./बी.एससी.	22.05.2016	रविवार	प्रथम	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	02 घंटे	100
2.	बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम. 2016-17			द्वितीय	अपरान्ह 12:00 से 02:00 तक	02 घंटे	100
3.				तृतीय	सायं 03:00 से 05:00 तक	02 घंटे	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस के माध्यम से काला करना होगा।

2-34 (i) i jh[kk 'kjd %

स.क्र.	प्रश्नपत्र की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	(म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)		आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	
01-	, d	500/-	250/-	250/-	70@&

(ii) l ákku fd; stkus ij ns 'kjd

स.क्र.	प्रश्नपत्र की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येक संशोधन किये जाने पर	
		शुल्क	पोर्टल शुल्क
01-	, d	100/-	50/-

2-35 i jh[kk 'kgj %

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा ऑनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य निकटस्थ परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

vWYkbZ i jh[kk dñz					
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. रायसेन	4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. रतलाम
7. बुरहानपुर	8. कटनी	9. मुरैना	10. खण्डवा	11. गुना	12. सतना
13. सागर					

2-36 i jh[kk eaifo"B gkus dsfy; s i k=rk dk foj.k %

(नियम पुस्तिका की कंडिका 2.1 एवं 2.4 के अनुसार)

2-37

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) व्यापम की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाइन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) व्यापम कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन **mark** अंकित करने के लिये किया जाना होगा।
- (vii) व्यापम की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाइन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में प्रश्न पत्रों के स्तर का **Normalisation** करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित /संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार /अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

v/; k & 3

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुभाग.....जिला..... मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम
..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान
अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप
में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक
..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)
संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम के नाम निवासी है जो जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र.,-1 दिनांक-2 जुलाई, 2013 की कंडिका क्रमांक 6 के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-3(अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीजो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पर पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

दिनांक.....

हस्ताक्षर

.....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीजो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पर पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

हस्ताक्षर

.....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.(आवेदक का नाम) जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित(पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री/श्रीमती/..... आवेदक के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय सील

प्रारूप-4
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती (आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- (2) श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.....) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर कलेक्टर
(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-5

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैंआत्मज/पति श्रीआयु लगभग.....

वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग)वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री -
 1. श्री/कु. आयु (लगभग)वर्ष
 2. श्री/कु. आयु (लगभग)वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है, उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्लाग्राम तहसील जिला में वर्षमें पैदा हुआ/हुई हूँ।
 2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे।)
 3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।
 4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापितनामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग मेंपद पर कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
 5. मैं केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय तहसील जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ।पद पर कार्यालय/मंत्रालयमें पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज/पति श्री आयु वर्ष निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थानमें किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जाये)

प्रारूप-6

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (सादे कागज़ पर)

मैंआत्मज श्रीआयुवर्ष

शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान मेंमें निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राममेंहेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपयेशब्दों मेंकी वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसायहै, इससे मुझे वार्षिक आय रुपयेशब्दों में है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपयेशब्दों में है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं -
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों में है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभगसमय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र राशिरुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशिवार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज/पति श्रीआयुवर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्षको स्थानमें किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-7

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari* _____

Son/daughter* of _____

of village/town* _____

in District/Division* _____ of the State/Union

Territory* _____ belongs to the _____ Caste/ Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste Scheduled Tribe*

Under:

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.)

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;

*The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

*The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;]

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act, 1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes

Certificate issued to Shri/Shrimathi* _____

father/mother* of Shri/Shrimathi/Kumari* _____ of

village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory*

who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* _____ issued by the

_____ dated _____.

Shri/Shrimathi*/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily

reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* of

the State/Union Territory* of _____.

Signature _____

Designation _____

(With seal of office) State/Union Territory

Place: _____

Date: _____

Note: The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

** Applicable in the case of SCs, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/92).xI

प्रारूप-8

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum. _____ Son / Daughter of Shri / Smt. _____ of Village/Town _____ District / Division _____ in the _____ State belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93- BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. _____ and/or his family ordinarily reside(s) in the _____ District / Division of _____ State. This is also to certify that he / she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate / Competent Authority

Seal

NOTE:

- (a) The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
 1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 3. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
- (c) The annual income /status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014

प्रारूप – 9

प्रावधिक आवेदकों द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र

(प्रवेश निर्देश 2016 की कंडिका 1.5.4 अनुसार)

1. मैं (आवेदक का नाम) -----पिता/पति
का नाम -----पंजीयन क्रमांक -----
वचन देता हूँ / देती हूँ कि (अर्हकारी परीक्षा का नाम) -----के
आधार पर मैं (सम्मिलित परीक्षा का नाम) -----की प्रवेश
परीक्षा 2016 में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ।
2. मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मेरी अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर मुझे प्रवेश
निर्देश अनुसार सम्बंधित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर अपने प्राप्तांक MPOonline के पोर्टल पर
दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
3. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि पूर्ववर्ती परीक्षा में पूरक प्राप्त होने पर अथवा आवेदित
पाठ्यक्रम हेतु एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने न होने पर प्रवेश हेतु पात्र नहीं
रहूंगा/रहूंगी।
4. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि अर्हकारी परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.06.2016 तक घोषित
नहीं होता है तो मेरे प्रवेश पर विचार नहीं किया जावेगा तथा यह स्थिति मुझे मान्य होगी। मैं
प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
5. प्रवेश निर्देश 2016 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों को मैंने भलीभांति पढ़ लिया है तथा मैं इससे
पूर्णतः सहमत होते हुए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ एवं ये मुझ पर बंधनकारी होंगे।
6. मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरे द्वारा असत्य / भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक /
दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -----

पता -----

मोबाइल नंबर -----

दिनांक :

प्रारूप-10
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान
दिनांक

प्रारूप-11
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction(हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा - 2016 हेतु पाठ्यक्रम

Syllabus of B.A.B.Ed. / B.Sc.B.Ed./ B.El.Ed. Entrance Examination - 2016

कुल अधिकतम अंक : 100

Total Max. Marks : 100

Part-1

सामान्य चेतना (General Awareness)

(40 अंक)

The focus will be limited to India and with special reference to Madhya Pradesh, except in the area of General Science.

1.	Indian History	Indian Cultural Development, History of Indian Independence (1857 to 1947), Development after 1947.
2.	Indian Constitution	Citizenship, Fundamental Rights and Duties, National Symbol, Indian Parliament, Executive and Judiciary.
3.	Economics and Geography	Main features of Indian economy, Natural Resources and Wealth, Environment and Ecology, Geographical features of Madhya Pradesh.
4.	General Science	Important Inventions and Inventors, Health and Hygiene, General Scientific Phenomenon.
5.	Current Affairs and Sports.	

सामान्य विज्ञान खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों का स्तर मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ एवं भारत तक सीमित होगा।

1.	भारतीय इतिहास	भारतीय सांस्कृतिक विकास, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद के घटनाक्रम।
2.	भारतीय संविधान	नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका।
3.	अर्थशास्त्र एवं भूगोल	भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ, प्राकृतिक संसाधन एवं संपदा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मध्यप्रदेश की भौगोलिक विशेषताएँ।
4.	सामान्य विज्ञान	मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य वैज्ञानिक घटनाएँ।
5.	समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल-कूद।	

भाग-2

सामान्य मानसिक योग्यता एवं शैक्षणिक अभिरूचि (General Mental Ability & Teaching Aptitude)

(30 अंक)

सामान्य मानसिक योग्यता : आंकिक योग्यता, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, अंक एवं आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, तार्किक वैन चित्र, तार्किक निगमन।

शैक्षणिक अभिरूचि : 1- शिक्षा की संकल्पना, 2- शिक्षक की भूमिका, 3- अच्छे शिक्षक के गुण, 4- शिक्षकीयवृत्ति में रूचि।

General Mental Ability : Numerical ability, Odd one out, Number series, Letter series, Relationship through letters, Code language, Numbers and Figures, Mathematical operations, Matching figures, Logical Venn diagrams, Logical deductions.

Teaching Aptitude : 1- Concept of Education, 2- Role of a Teacher, 3- Qualities of a good Teacher, 4- Interest in Teaching Profession.

भाग-3 / Part-3

भाषा दक्षता (Language Proficiency)

(कुल अंक 30)

सामान्य हिन्दी (15 अंक)

अ. व्याकरण

- वर्णमाला – स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार,
- संज्ञापद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
- समास –रचना एवं प्रकार,
- संधि – नियम एवं प्रकार
- कथन (वाक्य रचना) के प्रकार – विनम्रता सूचक, विधि-निषेध, काल-बोध, स्थान एवं दिशा बोध
- व्याकरणिक अशुद्धियां

ब. शब्द बोध

- शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय,
- शब्द प्रकार – तत्सम, तद्भव, देशज,
- शब्दार्थ – पर्यायवाची, विलोमार्थी,
- अशुद्धि संशोधन – उच्चारणगत, वर्तनीगत, शब्द व शब्दार्थगत,
- हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द

स. मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं प्रयोग

द. वाक्य रचनागत अशुद्धियों की पहचान

General English (15 अंक)

- 1- Noun
- 2- Verbs
- 3- Articles
- 4- Tenses
- 5- Prepositions
- 6- Synonyms and Antonyms
- 7- Prefixes and Suffixes

**बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठयक्रमों हेतु
सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर) की सूची**

List of Help Centres			
S.No.	District	HC NAME	City
1	Alirajpur	Govt College	Alirajpur
2	Anuppur	Govt Tulsi Degree College	Anuppur
3	Ashok Nagar	Govt Nehru Degree College	Ashoknagar
4	Badwani	Govt P G College	Badwani
5	Badwani	Govt College	Sendhwa
6	Balaghat	Govt Jatashankar Trivedi College	Balaghat
7	Betul	Govt Jaywanti Haksar P G College	Betul
8	Bhind	Govt Girls College	Bhind
9	Bhind	Govt M J S P G College	Bhind
10	Bhopal	Govt Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya	Bhopal
11	Bhopal	Govt Benazir College	Bhopal
12	Bhopal	Govt Gitanjali Girls P G College	Bhopal
13	Bhopal	Govt Hamidiya Arts and Commerce College	Bhopal
14	Bhopal	Govt M.L.B. Girls College	Bhopal
15	Bhopal	Govt P G College, Bhel	Bhopal
16	Bhopal	Govt Sarojini Naidu Girls P G College	Bhopal
17	Burhanpur	Govt Jawaharlal Nehru College	Nepanagar
18	Chhatarpur	Govt Girls College	Chhatarpur
19	Chhatarpur	Govt Maharaja College	Chhatarpur
20	Chhindwara	Govt P G College	Chhindwara
21	Damoh	Govt P G College	Damoh
22	Datia	Govt Girls College	Datia
23	Datia	Govt P G College	Datia
24	Dewas	Govt Krishnajirao Pawar P G College	Dewas
25	Dhar	Govt P G College	Dhar
26	Dindori	Govt Chandravijay College	Dindori
27	Guna	Govt P G College	Guna
28	Gwalior	Govt Adarsh Science College	Gwalior
29	Gwalior	Govt Bhagawat Sahay College	Gwalior
30	Gwalior	Govt Kamlaraje Girls P G College	Gwalior
31	Gwalior	Govt M L B Arts and Commerce College	Gwalior
32	Gwalior	Govt Virangna Jhalkari Bai Girls College	Gwalior
33	Harda	Govt Arts and Commerce College	Harda
34	Hoshangabad	Govt Home Science Girls P G College	Hoshangabad
35	Hoshangabad	Govt Narmada College	Hoshangabad
36	Indore	Govt Girls P G College, Moti Tabela	Indore
37	Indore	Govt Holkar Science College	Indore
38	Indore	Govt Nutan Girls P G Colege, Kilabhawan	Indore
39	Indore	Shri Atal Bihari Vajpai Govt Arts and Commerce	Indore

		College	
40	Jabalpur	Govt M H Home Science Girls P G College	Jabalpur
41	Jabalpur	Govt M K B Arts and Commerce College	Jabalpur
42	Jabalpur	Govt Mahakaushal Arts and Commerce College	Jabalpur
43	Jabalpur	Govt Science College	Jabalpur
44	Jhabua	Govt Shahid Chandrshekhar P G College	Jhabua
45	Katni	Govt Tilak College	Katni
46	Khandwa	Govt Shri Nilkantheshwar P G College	Khandwa
47	Khargone	Govt P G College	Khargone
48	Mandla	Govt Rani Durgawati College	Mandla
49	Mandsaur	Govt P G College	Mandsaur
50	Morena	Govt PG College Morena	Morena
51	Morena	Govt Girls College	Morena
52	Narsinghpur	Govt P G College	Narsinghpur
53	Neemuch	Swami Vivekanand Govt P G College	Neemuch
54	Panna	Govt Chhatrasal P G College	Panna
55	Raisen	Govt Swami Vivekanand College	Raisen
56	Rajgarh	Govt College	Rajgarh
57	Ratlam	Govt Arts and Science P G College	Ratlam
58	Rewa	Govt Girls P G College	Rewa
59	Rewa	Govt Law College	Rewa
60	Rewa	Govt Thakur Ranmat Singh College	Rewa
61	Sagar	Govt Arts and Commerce College	Sagar
62	Sagar	Govt Girls P G College	Sagar
63	Satna	Govt Girls College	Satna
64	Satna	Govt P G College	Satna
65	Sehore	Chandra Shekhar Azad Govt P G College	Sehore
66	Seoni	Govt P G College	Seoni
67	Shahdol	Govt P G College	Shahdol
68	Shajapur	Govt Balkrishna Sharma Navin P G College	Shajapur
69	Sheopur	Govt College	Sheopur
70	Shivpuri	Govt P G College	Shivpuri
71	Sidhi	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Sidhi
72	Sidhi	Govt Girls College Sidhi	Sidhi
73	Singroli	Govt College	Waidhan
74	Tikamgarh	Govt P G College	Tikamgarh
75	Ujjain	Govt Kalidas Girls College	Ujjain
76	Umariya	Govt College	Umariya
77	Vidisha	Govt Girls College	Vidisha

आरक्षण तालिका

महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा। (एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता/संबद्धता 2016 प्राप्त महाविद्यालयों की वास्तविक सूची उपलब्ध होने पर सीट संख्या परिवर्तित हो सकती है।)

पाठ्यक्रम का नाम →	बी.ए.बी.एड.	बी.एससी.बी.एड.	बी.एल.एड.
अनुमानित कुल सीट संख्या	650	850	50
बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु 25%	163	213	13
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु0जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 15%	24	32	02
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु0जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 7.5%	12	16	01
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 27%	44	58	04
बाह्य राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	83	107	06
म0प्र0 राज्य के आवेदकों हेतु 75%	487	637	37
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अनु0जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 16%	78	102	06
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अनु0जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 20%	97	127	07
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 14%	68	89	05
म0प्र0 राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	244	319	19

मानक 100 सीटों के आधार पर आरक्षण निम्नानुसार होगा –

म0प्र0 राज्य के आवेदकों के लिए 75 सीट				बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए 25 सीट				कुल सीट
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
38	10	12	15	12	07	04	02	100

1. महिलाओं के लिए 30% एवं म0प्र0 राज्य के आवेदकों हेतु विभिन्न संवर्ग जैसे – निःशक्तजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सैनिक हेतु पृथक-पृथक 3% तथा विधवा अथवा परित्यक्ता के लिए 1% क्षैतिजीय आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
2. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2016–2018
बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रम (चार वर्षीय)

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञापन | 04 अप्रैल, 2016 |
| 2. ऑनलाइन आवेदन करना | 06 अप्रैल से 26 अप्रैल, 2016 |
| 3. दस्तावेजों का सत्यापन | 06 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2016 |
| 4. प्रवेश परीक्षा | 22 मई, 2016 |
| 5. प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा | 06 जून, 2016 (संभावित) |
| 7. ऑनलाइन पंजीयन के साथ महावि० की वरीयता | 10 जून से 16 जून, 2016 |
| 9. काउंसलिंग प्रक्रिया | 20 जून से 30 जून, 2016 |

अकादमिक कार्य	प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर	द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठ सेमेस्टर
कक्षाएं प्रारंभ	01 जुलाई, 2016	16 दिसंबर, 2016
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई से 02 नवंबर 2016 (100 दिवस)	16 दिसंबर, 2016 से 20 अप्रैल 2017 (100 दिवस)
प्रायोगिक परीक्षाएं	25 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2016	15 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2017
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	06 से 09 नवंबर, 2016	26 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2017
सेमेस्टर/एटीकेटी परीक्षाएं	10 नवंबर से 30 नवंबर, 2016	01 मई से 20 मई, 2017
परीक्षा परिणाम	15 दिसंबर, 2016	05 जून, 2017
सेमेस्टर अंतराल (विद्यार्थियों हेतु)	01 से 15 दिसंबर, 2016	20 मई से 30 जून, 2017

टीप :

1. प्रत्येक वर्ष विषम एवं सम सेमेस्टर हेतु क्रमशः माह अगस्त/फरवरी में महाविद्यालयीन गतिविधियाँ/शैक्षणोत्तर गतिविधियाँ संपन्न कराई जावे।
2. अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि. स्तर पर शैक्षणिक काल खंडों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जावे ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समय अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के रेग्यूलेशन 2014 के अनुपालन में निर्धारित शैक्षणिक दिवसों एवं अन्य निर्दिष्ट गतिविधियाँ तदनुसार संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर हेतु भी समयावधि तदनुसार लागू होगी।

